भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.860

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सर्विस रोड

860. श्री अभिषेक सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ कितनी किमी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सर्विस रोड़ नहीं है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ सर्विस रोड के निर्माण हेतु दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ सर्विस रोड़ पर सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सर्विस रोड़ों की व्यवस्था केवल उन शहरी/अर्ध-शहरी अवस्थानों पर की जाती है जहां स्थानीय यातायात अत्यधिक होता है और इस प्रकार से सर्विस रोड़ों की व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्गों की छोटी लम्बाई पर ही की जाती है । राष्ट्रीय राजमार्ग का शेष संपूर्ण भाग सर्विस रोड़ रहित होता है ।

(ख) सर्विस सड़कों के संबंध में मार्गानिर्देशन अनेक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईआरसी) संहिताओं/प्रकाशनों जैसे आईआरसी एसपी:73-2015, आईआरसी एसपी:84-2014, आईआरसी एसपी:62-1976, आईआरसी एसपी:15-1996 इत्यादि में निहित हैं ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वाले सर्विस रोड़ पर हुई सड़क दुर्घटना के आकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं । राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं को भी शामिल कर लिया जाता है । मंत्रालय ने सभी राज्यीय लोक निर्माण विभागों तथा अन्य कार्यपालक एजेंसियों से आग्रह किया है कि वे सर्विस रोड़ों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर जहां कहीं भी अपेक्षित हो, सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी विशिष्टताओं को अपनाएं ।

******